

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

पत्रांक : 278/वि0प्रा0/निर्माण/2026-27

दिनांक-19/05/26

ई-निविदा सूचना

वाराणसी विकास क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य हेतु वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य से सम्बन्धित विस्तृत निविदा नोटिस तथा ड्राफ्ट निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखा जा सकता है। कार्य से सम्बन्धित ई-निविदा प्रपत्र एन0आई0सी0 की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर सबमिट की जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	बिड पद्धति	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रुपये में) समस्त टैक्स सहित	धरोहर राशि(EMD) (रुपये में)	ई-निविदा की प्रारम्भ तिथि	ई-निविदा की अन्तिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जोन-3 (वार्ड-दशाश्वमेध) के अन्तर्गत गढ़वासी टोला (फेज-4) वार्ड में स्थित अवशेष गलियों के आन्तरिक सम्पर्क मार्गों में सीवर लाइन, सी0सी0 एवं स्टोन फ्लोरिंग का कार्य।	25.10	टू-बिड	3,110.00	50,500.00	19.05.2026	25.05.2026 सांय 05:00 बजे	26.05.2026 अपरान्ह 02:00 बजे	03 मह

नियम व शर्तें :-

- उक्त कार्य की निविदा मूल्य (Tender Fee) एवं अग्रिम धरोहर धनराशि (EMD) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट vdavns.com पर उपलब्ध EARNEST MONEY DEPOSIT MANAGEMENT SYSTEM पर अथवा <https://emd.vdapms.in/> लिंक पर सीधे ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, जिसकी रसीद/प्रपत्र अपलोड कराना होगा।
- प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, लोक निर्माण अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-692/23-07-2024 दिनांक-09.08.2024 के अनुसार यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत तक कम (Below) है तो उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी नहीं ली जायेगी। यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदा लागत, स्वीकृत (बी0ओ0क्यू0) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम (Below) है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी (Below) के सापेक्ष 01 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम (Below) दर पर अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्वोरिटी ली जायेगी जिसे ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध गठन के समय जमा करना होगा।
- निविदा की दरों में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
- प्रश्नगत कार्य की निविदा में Tender Id No. 2026_UPVDA_1127745_1, Tender Id No. 2026_UPVDA_1135568_1 एवं Tender Id No. 2026_UPVDA_1143275_1 पर पूर्व में जमा अग्रिम धनराशि (EMD) इस निविदा हेतु मान्य होगी तथा प्रश्नगत कार्य की निविदा में निविदा मूल्य (Tender Fee) जमा करना होगा, जिसकी रसीद/प्रपत्र अपलोड कराना होगा।
- निविदा प्रपत्र उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक कार्पोरेशन की वेबसाइट "http://www.etender.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं तथा इसी वेबसाइट से डाउनलोड/अपलोड भी किये जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें क्योंकि प्रश्नगत निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना उक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
- कार्य के मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- निविदा की स्वीकृति की दशा में जमानत धनराशि हेतु स्वीकृत कार्य लागत की 5 प्रतिशत धनराशि में से उक्त कॉलम-6 के अनुसार जमा धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि ठेकेदारों द्वारा देय होगी अथवा सम्पूर्ण आवश्यक जमानत धनराशि का एफ0डी0आर0 (अधिशाली अभियन्ता, वा0वि0प्रा0 के पक्ष में बन्धक हो) जमा करनी होगी।
- निविदादाता को आयकर विभाग, श्रम विभाग एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। शासन द्वारा समय-समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य निर्देशित करों/देयता की कटौती ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी।
- स्टेट वार कौंसिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता/फर्म के किसी पार्टनर का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependant), यथा पिता, पुत्र, भाई, बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्ट कजिन, सारा-श्वसुर, दागाद, बहनोई, पत्नी/पति के भाई बहन, माता, मामा-मागी, चचेरे भाई-बहन, मौसरे भाई-बहन, आदि वाराणसी विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/ अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
- वाराणसी विकास प्राधिकरण या अन्य विकास प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं/आवास एवं विकास परिषद में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मस् निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। वाराणसी विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं को सम्बन्धित विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत



- करना होगा। सफल निविदादाताओं को अनुबन्ध के समय वाराणसी विकास प्राधिकरण में नियमानुसार अपनी फर्म का पंजीकरण करना होगा। फर्म के पंजीकरण की नियमावली प्राधिकरण के वेबसाइट (www.vdavns.com) पर देखी जा सकती है। प्राधिकरण के पंजीकरण नियमावली में दर्जित नियम व शर्तों को पूर्ण करने वाली फर्मों की निविदा स्वीकृति हेतु विचार किया जायेगा।
12. निविदादाता द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से निर्धारित प्रारूप पर निर्गत अद्यावधिक हैसियत प्रमाण पत्र एवं वरिष्ठ प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना होगा जो निविदा खोलने की तिथि तक अनिवार्यतः वैध हो। अन्य प्रान्तों के निवासित ठेकेदार/फर्म/कम्पनी द्वारा हैसियत एवं वरिष्ठ प्रमाण पत्र में प्रवृत्त नियमों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उक्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उक्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्रदत्त अधिकारी ही इस आशय राज्य में सक्षम है।
 13. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा हेतु श्रम विभाग में एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः अनुबन्ध गठन के पश्चात उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त ही चलित देयक का भुगतान किया जायेगा।
 14. लोक निर्माण विभाग के स्टैंडर्ड्स बिड डॉक्यूमेंट (एरा.बी.डी)/मॉडल बिड डॉक्यूमेंट (एग.वी.डी) के भाग-4 के प्रस्तर-13 के अनुसार रू0 40.00 लाख से अधिक के कार्य तथा निर्माण कार्य में लगे गजदूरों की संरक्षा हेतु ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर कार्य एवं सम्बन्धित कामगारों का बीमा कराना आवश्यक है।
 15. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
 16. यदि दो अथवा दो से अधिक निविदादाताओं द्वारा निविदा की दरें समान दी जाती हैं तो न्यूनतम निविदादाताओं से सूचित किये जाने वाले अवधि के अन्दर पुनः सील बन्द लिफाफे में संशोधित दर प्राप्त कर तदनुसार विचार किया जा सकता है। यदि फिर भी समान दरें प्राप्त होती हैं तो लाटरी के माध्यम से निविदा पर विचार किया जायेगा।
 17. यदि कतिपय कारणों से कोई फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो द्वितीय न्यूनतम निविदादाता से प्रथम न्यूनतम निविदादाता की दर पर सहमति प्राप्त कर कार्य कराया जा सकता है।
 18. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
 19. जॉइंट वेंचर (JV) निविदा मान्य नहीं होगी।
 20. निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बिड के साथ अपलोड किये गये प्रपत्रों की सूची (हस्ताक्षरयुक्त) तकनीकी बिड के साथ अपलोड किया जाना आवश्यक है।
 21. निविदा आमन्त्रण सूचना के नियम व शर्तों तथा निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित नियम व शर्तों में यदि कोई भिन्नता होती है तो निविदा आमन्त्रण-सूचना की नियम व शर्तें ही मान्य होगी।
 22. फर्म द्वारा कराये गये कार्य के किसी मद में कमियाँ परिलक्षित होती हैं तो उक्त मद में 10 प्रतिशत की अतिरिक्त कटौती की जायेगी।
 23. फर्म/ठेकेदार को अपने कार्यालय का स्पष्ट पता, मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल का विवरण अनिवार्यतः संलग्न करना होगा।
 24. शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए निर्माणाधीन कार्यों से जनित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, (C&D Waste) नियमावली 2016 एवं ना0 N.G.T के अधिनियम 2010 के नियमों के तहत स्वयं के व्यय से निस्तारण करना होगा। निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) प्रसंस्करण शुल्क वाराणसी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्लान्ट तक पहुँचाने पर रू0 173/- प्रति टन है। यदि C&D Waste को स्थल से संग्रहण, परिवहन व निस्तारण, वाराणसी नगर निगम द्वारा अनुबन्धित फर्म मे0 इण्डो इन्चायरो इण्टीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड के द्वारा करायेंगे, तो उसके लिये वाराणसी नगर निगम द्वारा संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए निर्धारित शुल्क रू0 525/- प्रति टन है। इसके अतिरिक्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (C&D Waste) नियमावली-2016 के अनुसार 20 टन/दिन या 300 टन/प्रोजेक्ट C&D Waste उत्पन्न करने वाली संस्थाओं को उक्त C&D Waste को Segregate करना एवं उसके निस्तारण की कार्ययोजना वाराणसी नगर निगम से अनुमोदित कराना अनिवार्य है। उक्त की रसीद, बिल भुगतान के समय प्रस्तुत करना होगा।
 25. ऐसी फर्म जिनके 02 या उससे अधिक कार्य इस प्राधिकरण में गतिमान हैं, उनके द्वारा इस निविदा में प्रतिभाग नहीं किया जा सकता है।
 26. निविदादाता द्वारा प्रश्नगत कार्य स्थल का निरीक्षणोपरान्त तथा उक्त समस्त शर्तों को संज्ञान में लेते हुए ही निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा।

A. K. Singh
19/5/26

अधिसासी अभियन्ता

- पत्रांक : /वि0प्रा0/निर्माण/2026-27
- प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. उपाध्यक्ष महोदय को अवलोकनार्थ।
 2. सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
 3. वित्त नियंत्रक, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
 4. अधिसासी अभियन्ता, विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
 5. संबंधित सचिका/नोटिस बोर्ड।

दिनांक-

अधिसासी अभियन्ता